न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी :– श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

प्रार्थी :–

मंदिर श्री चारभूजाजी वाके देह आम जनता ग्राम पांचोता तहसील नावां जरिये

1. बजरंगलाल पुत्र रधुनाथराम उम्र 46 वर्ष
2. गंगाराम पुत्र सुजाराम उम्र 65 वर्ष
3. गुमानाराम पुत्र भोपालराम उम्र 49 वर्ष
4. गोपीराम पुत्र भीवाराम उम्र 64 वर्ष
   जाति जाट निवासीयान ग्राम पांचोता तहसील नावां।
5. मानाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट उम्र 63 वर्ष निवासी ग्राम दानपुरा तहसील नावां।

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. पुरूषोतम लाटा पुत्र ओमप्रकाश उम्र 53 वर्ष
2. सीताराम लाटा पुत्र ओमप्रकाश उम्र 51 वर्ष
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, नावां तहसील नावां।

प्रार्थना पत्र बाबत :– अवमानना प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(क) सी.पी.सी.

उपस्थित :– श्री सुरेन्द्र सेवर अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री आनन्दीलाल कुमावत अधिवक्ता अप्रार्थीगण

मुकदमां नम्बर :– 24/2020 निर्णय दिनांक :–19.02.2024

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने इसी अनुवान का एक वाद पत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया जिसमें प्रार्थी मंदिर श्री चारभूजाजी के हितार्थ न्यायालय हाजा द्वारा स्थगन आदेश इस आशय का पारित किया गया है कि राजस्व ग्राम पांचोता के खसरा नम्बर 211, 212, 801 कुल रकबा 5.36 हैक्टर व ग्राम दानपुरा के खसरा नम्बर 473, 664, 665, 666, 716, 717, 718, 719, 846, 847 कुल रकबा 9.16 हैक्टर भूमि के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण को पाबंद किया गया कि उपरोक्त खसरान भूमि में किसी भी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की तामील अप्रार्थीगण को युक्तियुक्त व विधिवत तरीके से हो चुकी हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने मंदिर श्री चारभूजाजी महाराज की उक्त भूमि पर [illegible] कब्जा बताकर हडपने पर आमादा हो रखे हैं इसी बदनियती के चलते ग्राम [illegible] 666 रकबा 2.70 हैक्टर भूमि में अप्रार्थीगण ने पानी के होज का निर्माण भारी मशी[illegible] का प्रयोग कर जबरन लाठी भाटे के जोर पर शुरू कर दिया है जबकि अ[illegible] हाजा द्वारा पारित अं[illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

आदेश से पाबंद हो रखे हैं। फिर भी अप्रार्थीगण माननीय न्यायालय के आदेश की सरेआम अवहेलना कर जबरन होज निर्माण का कार्य कर रहे हैं जिसका उन्हें कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं हैं। आम जनता ने अप्रार्थीगण को इस बाबत मना किया तो उक्त अप्रार्थीगण मरने मारने पर उतारू हो गये तथा मंदिर की भूमि को हडपना चाहते हैं। साक्ष्य में निर्माणाधीन कार्य की फोटोग्राफी पेश की। अगर उक्त अप्रार्थीगण अपने नापाक उद्देश्य में कामयाब हो गये तो मंदिर मूर्ति अपने खातेदारी अधिकारों की भूमि से महरूम हो जायेगी। उपरोक्त अनुवान प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 02.06.2020 की अवमानना बाबत कानूनी कार्यवाही अप्रार्थीगण के विरूद्ध कर दण्डित करने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 का तामील शुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 22.06.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री आनन्दीलाल कुमावत ने यूटी दी तथा तहसीलदार नावां की मौका रिपोर्ट एवं मौका कमिश्नर श्री बजरंगलाल बिजारणियां ने रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार नावां ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 17/2020 अनुवान मंदिर श्री चारभुजाजी बनाम पुरूषोतम लाटा वगै. अंतर्गत धारा 212 आरटीए के संबंध में ग्राम पांचोता के खसरा नम्बर 211, 212, 801 कुल रकबा 5.36 हैक्टर एवं ग्राम दानपुरा के खसरा नम्बर 473, 664, 665, 666, 716, 717, 718, 719, 846, 847, कुल रकबा 9.16 हैक्टर में राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये हैं। दिनांक 09.06.2020 को अप्रार्थीगण को माननीय न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में पाबंद किया गया लेकिन दिनांक 12.06.2020 को माननीय न्यायालय हाजा के आदेश की पालना नहीं कर बावजूद पाबंद के निर्माण कार्य शुरू कर अवहेलना कर रहा हैं। मौका कमिश्नर श्री बजरंगलाल बिजारणियां ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा के आदेशानुसार दिनांक 19.06.2020 को उभपक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित कर दिनांक 19.06.2020 को विवादग्रस्त भूमि का मौका निरीक्षण किया गया एवं नजरी नक्शा मौका रिपोर्ट के साथ पेश किया। नजरी नक्शे में दर्शित मार्क "ABCDEF" के मध्य कृषि भूमि स्थित हैं। नजरी नक्शे में दर्शित मार्क "ABCDEF" भूमि के उत्तरी तरफ मार्क A से B के मध्य पक्की दिवार बनी हुई हैं। उत्तरी तरफ मार्क O व मार्क P स्थान पर दो लोहे के कोट लगे हुए हैं तथा मार्क N स्थान पर टीन शेड लगे हुए हैं जिसमें पशु बंधे हुए हैं एवं पास में पशुओं का चारे का ढेर पड़ा हुआ हैं तथा मार्क L स्थान पर कुआ बना हुआ हैं एवं मार्क M स्थान पर मंदिर बना हुआ हैं। भूमि के पूर्वी सीमा पर मार्क B से C व D के मध्य व मार्क D से E के मध्य व मार्क E से A के मध्य कच्ची डोल लगी हुई हैं जिसपर पत्थर के कातले रोप कर तारबंदी की हुई हैं। मार्क A, B, C, D, E, F के मध्य स्थित वाद ग्रस्त भूमि में मार्क G से H के मध्य पानी का होद हैं एवं चारों तरफ लोहे की एंगल रोपकर लोहे की जाली खींची हुई है तथा पानी का होद पूर्ण रूप से तैयार हैं तथा मार्क G से H व मार्क h से I एवं मार्क I से J व मार्क J से G के मध्य लोहे की एंगल रोप कर लोहे की जाली खींची हुई हैं। जाली की उंचाई 5 फुट है एवं मार्क G से H की लम्बाई 105 फुट हैं तथा मार्क H से I की लम्बाई 105 फुट हैं एवं मार्क I से J की लम्बाई 105 फुट हैं तथा मार्क J से G की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 14:12:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

लम्बाई 105 फुट हैं। मार्क G, H, I, J के मध्य स्थित पानी के होद के उत्तरी तरफ K के स्थान पर 18 फुट लम्बाई व 10 फुट चौड़ाई एवं 2 फुट गहराई की पक्की पानी की होदी बनी हुई हैं जिसमें 6 फुट की रपट हैं। मार्क A, B, C, D, E, F के मध्य स्थिति भूमि मार्क R स्थान की भूमि में कलटी वगेरह निकाले हुये हैं तथा मार्क Q स्थान की भूमि समतल हैं तथा भूमि के उत्तरी तरफ आम रास्ता पूर्वी तरफ आम रास्ता व दक्षिणी तरफ आम रास्ता एवं पश्चिमी तरफ अन्य व्यक्तियों की कृषि भूमि स्थित हैं तथा विवाद ग्रस्त भूमि में फसल नहीं हैं।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की ओर से अधिवक्ता श्री आनन्दीलाल कुमावत ने मूल जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पांचोता के खसरा नम्बर 211, 212, 801 कुल रकबा 5.36 हैक्टर एवं ग्राम दानपुरा के खसरा नम्बर 473, 664, 665, 666, 716, 717, 718, 719, 846, 847 कुल रकबा 9.16 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि मंदिर श्री चारभुजा वाके ग्राम पांचोता की खातेदारी की पहले उपरोक्त भूमि सम्पूर्ण ग्राम पांचोता की सरहद में स्थित थी परन्तु ग्राम पांचोता से नव ग्राम दानपुरा नया ग्राम बनने से उपरोक्त कृषि भूमिया दोनों ग्रामों में स्थित हैं। उपरोक्त कृषि भूमियों के गत खसरा नम्बर 502, 502, 417, 479 से बने हैं जो मिलान क्षेत्रफल में अंकित हैं। उपरोक्त कृषि भूमि मंदिर श्री चारभुजा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। गत भू–प्रबंध के पूर्व से उपरोक्त मंदिर की सेवा पुजा व भूमियों के काश्त अप्रार्थीगण 1 ता 2 के पड़दादा स्व. मोतीदास वल्द सुखदेवराम, के बाद दादा स्व. बंशीलाल पुत्र मोतीदास काश्त करते आ रहे थे जिनका स्वर्गवास होने के पश्चात उनके पुत्र ओमप्रकाश पि. बंशीधर मंदिर की सेवा पुजा एवं उपरोक्त कृषि भूमियों पर काश्त करते आ रहे थे जिनका स्वर्गवास होने पर अप्रार्थीगण 1 ता 2 उपरोक्त मंदिर की सेवा पुजा एवं उपरोक्त भूमियों में काश्त करते आ रहे हैं। उपरोक्त भूमियों का रिकॉर्ड हाल भू–प्रबंध के पूर्व में अप्रार्थीगण के अप्रार्थी के पड़दाता मोतीदास वल्द सुखदेवदास एवं दादा स्वर्गीय बंशीलाल उर्फ बंशीधर पुत्र मोतीदास का नाम पुजारी दर्ज हैं तथा बाद में बंशीलाल का कब्जा होने धारा 19 के तहत उनके नाम उपरोक्त भूमियों की खातेदारी दर्ज हो गयी जो हाल भू–प्रबंध में पुनःउपरोक्त भूमि मंदिर श्री चारभुजा के नाम दर्ज हो गई जो आज दिन तक बदस्तुर दर्ज चली आ रही हैं। ग्राम दानपुरा के खसरा नम्बर 666 रकबा 2.70 हैक्टर में वर्षा का पानी पेड़ पौधों एवं जानवरों को पिलाने हेतु कच्चा होज मई माह वर्ष 2020 में मिट्टी खोदकर उसमें प्लास्टिक का मेनिया लगाया हैं जो अनुपयोग होने पर पुनः मिट्टी डालकर समतल किया जा सकता हैं जिससे उपरोक्त कृषि भूमियों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हैं। अप्रार्थीगण 1 ता 2 ने केवल मात्र वर्षात का मीठा पानी एकत्रित करने के लिए मिट्टी खोदकर कच्चा होज मई माह वर्ष 2020 में बनाया गया हैं। होज खुदाई का ठेका लक्ष्मणराम पुत्र बालूराम जाट निवासी खाखड़की का दिनांक 15.05.2020 को 51000/– रूपये में होज खुदाई का ठेका दिया गया था एवं 11000/– रूपये उसी दिन साई पेटे दिये थे एवं होज खुदाई का कार्य पूर्ण करना दिनांक 21.05. 2020 तक तय हुआ एवं होज खुदाई का कार्य पूर्ण दिनांक 22.05.2020 को कर बाकि 40000/– रूपये लक्ष्मणराम पुत्र बालूराम ने जरिये रसीद प्राप्त कर ली थी तथा होज के चारो तरफ सुरक्षा के लिए जी.आई. तार लगाया गया है जिसका बिल दिनांक 25.05.2020 का हैं। उपरोक्त कच्चे होज का पूर्ण कार्य दिनांक 26.05.2020 को हो चुका था जबकि न्यायालय हाजा ने उपरोक्त मंदिर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

की भूमि में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिनांक 02.06.2020 को जारी हुआ जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण 1 ता 2 को दिनांक 11.06.2020 को हुई थी। अप्रार्थीगण 1 ता 2 ने अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के जवाब भी पेश किया जा चुका हैं। अप्रार्थीगण 1 ता 2 ने न्यायालय के आदेश की किसी प्रकार से अवमानना नहीं की हैं। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को मय खर्चा खारिज करने की कार्यवाही करने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। तत्पश्चात पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी ने अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 17/2020 में दिनांक 02.06.2020 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा की अवहेलना कर अपराधिक कार्य किया जाना बताया हैं। न्यायालय हाजा के प्रकरण बअनुवान मंदिर श्री चारभूजाजी बनाम पुरूषोतम लाटा वगैरह मु. न. 17/2020 में दिनांक 02.06.2020 को ग्राम पांचोता के खसरा नम्बर 211, 212, 801 कुल रकबा 5.36 हैक्टर व ग्राम दानपुरा के खसरा नम्बर 473, 664, 665, 666, 716, 717, 718, 719, 846, 847 कुल रकबा 9.16 हैक्टर भूमि में मौके की यथास्थिति बनाये रखे एवं किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि न करे इस आशय की अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया था। अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित भूमि में स्थित मंदिर की सेवा पुजा व भूमियों में अप्रार्थीगण के पडदादा स्वर्गीय मोतीदास वल्द सुखदेवराम तथा दादा स्वर्गीय बंशीलाल पुत्र मोतीदास एवं वर्तमान में अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त करना बताया हैं तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार उपरोक्त भूमि में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के नोटिस अप्रार्थीगण को दिनांक 12.06.2020 को तामील हुए है तथा पटवारी पांचोता की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.06.2020 में उपरोक्त वर्णित भूमि में पानी का होज का कार्य लगभग पूर्ण होना बताया है। दिनांक 02.06.2020 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा की जानकारी अप्रार्थीगण को होने तक उक्त पानी का होज लगभग पूर्ण हो गया था तथा अप्रार्थीगण के पूर्वज उक्त भूमि में काश्त एवं मंदिर में सेवा पुजा करते चले आ रहे है। इस प्रकार उक्त पानी का होज आवश्यक जरूरत का साधन होने से अप्रार्थीगण द्वारा बनाये गये पानी के होज से प्रार्थी का हित प्रभावित होना साबित नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अवमानना का मामला नहीं बनने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 19.02.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:10 IST
Reason: SelfAttested

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)